AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील क्रमांक 334/2021

नीरज कुमार उईके पिता स्वर्गीय श्री विजय कुमार उईके, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी– ब्लॉक नं. ए, वॉर्ड नं. 69, खारुन पैलेस के पास, रायपुरा, जिला– रायपुर (छत्तीसगढ़)

--------- **अपीलार्थी**

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा : सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला– रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला– रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव, जिला– राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, डोंगरगांव, जिला– राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

--------- **उत्तरवादीगण**

(वाद शीर्षक केस सूचना प्रणाली से लिया गया)

अपीलकर्ता की ओर से	:	श्री प्रमोद रामटेके, अधिवक्ता ।
उत्तरवादीगण की ओर से	:	श्री एच.एस.आहलुवालिया, उपमहाधिवक्ता ।
सुनवाई तिथि	:	22.11.2021
निर्णय तिथि	:	10.12.2021

माननीय श्री अरूप कुमार गोस्वामी, मुख्य न्यायमूर्ति
माननीय श्री गौतम भादुड़ी, न्यायमूर्ति
सी.ए .वी. निर्णय

<u>द्वारा श्री अरूप कुमार गोस्वामी, मुख्य न्यायमूर्ति</u>

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद रामटेके एवं उत्तरवादीगण के विद्वान उपमहाधिवक्ता श्री एच.एस.आहलुवालिया को सुना गया।

2. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका (एस) क्रमांक 4204/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.08.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलकर्ता के पिता, जो शासकीय मिडिल स्कूल, दीवानभेड़ी में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत थे, की सेवाकाल के दौरान दिनांक 01.01.2020 को मृत्यु हो चुकी है। अपीलकर्ता ने दिनांक 04.05.2020 को अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे दिनांक 01.07.2020 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ता की मां पहले से ही शासकीय सेवा में है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह उल्लेखित करते हुए कि सरकारी नीति में, जब परिवार का कोई सदस्य पहले से ही सरकारी नौकरी में है तब अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की परिकल्पना नहीं की गई है, याचिका को खारिज कर दिया।

4. सेवाकाल के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में समेकित संशोधित निर्देश, 2013 (संक्षेप में, 'समेकित संशोधित निर्देश, 2013') का खंड 6(ए) इस प्रकार है :

"6(ए) मृतक विवाहित सरकारी कर्मचारी के परिवार में यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य पहले से ही शासकीय सेवा में है, तो परिवार का कोई अन्य सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।"

5. श्री रामटेके का इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता की मां (मृतक की पत्नी) पहले से ही सरकारी नौकरी में है । श्री रामटेके ने व्यक्त किया कि प्रतिवादी यह पता लगाने के लिए बाध्य हैं कि क्या मृतक कर्मचारी के परिवार का सदस्य, जो शासकीय सेवा में है, मृतक के परिवार को कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है या नहीं । उन्होंने आगे यह भी व्यक्त किया कि अपीलकर्ता पृथक रह रहा है तथा वह अपने पिता पर निर्भर था, अतः अपीलकर्ता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने का हकदार है। अपने तर्क के समर्थन में, श्री रामटेके ने **श्रीमती सुलोचना नेताम विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य डब्ल्यूपी (एस) क्रमांक 2728/2017** के मामले में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले, जो दिनांक 23.11.2017 को निर्णीत हुआ था, पर निर्भरता व्यक्त की है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान उपमहाधिवक्ता श्री एच.एस.आहलुवालिया ने व्यक्त किया है कि सरकार पर यह पता लगाने का कोई दायित्व नहीं है कि परिवार का कोई सदस्य, जो सरकारी नौकरी में है, वह परिवार के अन्य सदस्यों की आर्थिक सहायता कर रहा है या नहीं। उन्होंने व्यक्त किया कि

अनुकंपा नियुक्ति का दावा केवल ऐसी नियुक्ति के लिए लागू योजना के आधार पर ही किया जा सकता है। उन्होंने आगे यह भी व्यक्त किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, इस रिट अपील को खारिज करने की प्रार्थना की।

7. हमारे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया ।

8. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परीशीलन से यह दर्शित होता है कि अपीलकर्ता एक विवाहित व्यक्ति है, उसका विवाह दिनांक 02.07.2017 को संपन्न हुआ था तथा दिनांक 08.05.2018 को एक पुत्री का जन्म भी हुआ था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. **उमेश कुमार नागपाल विरुद्ध हरियाणा राज्य (1994) 4 एससीसी 138** की कंडिका 2 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :

> " नियमानुसार सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियाँ आवेदनों के खुले आमंत्रण एवं योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। नियुक्ति का कोई अन्य तरीका या कोई अन्य विचार स्वीकार्य नहीं है । सरकारें या सार्वजनिक प्राधिकरण किसी अन्य प्रक्रिया का पालन करने या पद के लिए नियमों द्वारा निर्धारित योग्यताओं को शिथिल करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। तथापि, इस सामान्य नियम के लिए, जिसका हर मामले

में कठोरता से पालन किया जाना आवश्यक है, न्याय के हित में और कुछ आकस्मिकताओं से निपटने के लिए कुछ अपवाद बनाए गए हैं । ऐसा ही एक अपवाद उस कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में है, जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तथा वह अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ जाता है। ऐसे मामलों में, विशुद्ध मानवीय विचार से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक परिवार अपना निर्वाह करने में सक्षम नहीं होगा, नियमों में मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जो ऐसे रोजगार के लिए पात्र हो सकता है । इस प्रकार अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने का संपूर्ण उद्देश्य परिवार पर अचानक आए संकट से उबरने के लिए उन्हें सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य ऐसे परिवार के किसी सदस्य को मृतक द्वारा धारित पद से निम्नतर पद देना नहीं है । " (बल देते हुए)। "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य विरुद्ध सोमवीर सिंह (2007) 4 एससीसी 778** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि :

> "7. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(1) सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है । अनुच्छेद 16(2) नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव से बचाता है । यह सुस्थापित है और हमें इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति इस सामान्य नियम का अपवाद है कि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से की जानी चाहिए, जिससे सभी पात्र व्यक्तियों को चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करने एवं भाग लेने का अवसर मिलें । ऐसी नियुक्तियाँ आवेदनों के खुले आमंत्रण तथा योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। सेवाकाल के दौरान मृत होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा, यदि कोई हो, के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतिरिक्त सार्वजनिक सेवाओं के लिए कोई विशेष या अतिरिक्त दावा नहीं है ।"

11. **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विरुद्ध राज कुमार (2010) 11 एससीसी 661** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह सुस्थापित है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है और यह सामान्य नियम, कि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती खुले आमंत्रण द्वारा योग्यता के आधार पर होनी चाहिए जिसमें सभी पात्र व्यक्तियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए,का अपवाद है । सेवाकाल के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार के लिए कोई विशेष दावा या अधिकार नहीं है, सिवाय उस रियायत के जो नियोक्ता द्वारा नियमों के अंतर्गत या एक पृथक योजना के अंतर्गत मृतक के परिवार को अचानक वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाने के लिए दी जा सकती है । अतः अनुकंपा नियुक्ति का दावा केवल नियोक्ता द्वारा ऐसे रोजगार के लिए बनाई गई योजना के अनुसार ही संभव है और ऐसी योजना के बाहर कोई भी अधिकार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. **हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य विरुद्ध प्रकाश चंद (2019) 4 एससीसी 285** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह दोहराया है कि अनुकंपा नियुक्ति अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि इसे उन शर्तों द्वारा शासित किया जाना चाहिए जिन पर राज्य

किसी मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य को रोजगार सहायता प्रदान करने की नीति निर्धारित करता है ।

13. **श्रीमती सुलोचना नेताम** (सुप्रा) के मामले में, याचिकाकर्ता के पति, जो आरक्षक के रूप में कार्यरत था, की दिनांक 11.01.2017 को सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई, तथा वह अपने पीछे दस माह की बेटी और याचिकाकर्ता को छोड़ गया । वे दानों मृतक सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे। याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता के ससुर शासकीय सेवा में थे। उक्त पृष्ठभूमि में विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिकारियों को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया था कि क्या ससुर पृथक रह रहे थे एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे थे, तथा तदनुसार, प्रकरण को पुनःविचार हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. वर्तमान मामले में तथ्यात्मक मेट्रिक्स **श्रीमती सुलोचना नेताम** (सुप्रा) के मामले के समान नहीं है।

15. समेकित संशोधित निर्देश, 2013 के खंड 6(ए) के संदर्भ में यह प्रश्न भी उठता है कि क्या ससुर को परिवार का सदस्य माना जा सकता है, ताकि विधवा को इस आधार पर नियुक्ति से वंचित किया जा सकें कि उसके ससुर शासकीय सेवा में है। तथापि, **श्रीमती सुलोचना नेताम** (सुप्रा) में इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है ।

16. अब यह बात अनिर्णीत नहीं है कि अनुकंपा नियुक्ति का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह कोई निहित अधिकार नहीं है । अनुकंपा

नियुक्ति का दावा केवल ऐसी नियुक्ति के लिए लागू योजना के आधार पर किया जा सकता है। जब योजना में ही यह प्रावधान है कि यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, तो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी, तब इस आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता कि सरकारी सेवा में कार्यरत परिवार का सदस्य कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रहा है। योजना के अंतर्गत सरकार पर यह पता लगाने का कोई दायित्व नहीं है कि ऐसा कर्मचारी परिवार के अन्य सदस्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है या नहीं।

17. उपरोक्त विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार दर्शित नहीं होता है, और तदनुसार, रिट अपील खारिज की जाती है । कोई व्यय नहीं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(श्री अरूप कुमार गोस्वामी)
मुख्य न्यायाधीश

सही/–
(श्री गौतम भादुड़ी)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।